

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजनौर

पत्रांक मीमो 2023 / 24

दिनांक 02.09.2023

प्रधानाचार्या
सन शाईन पब्लिक स्कूल
फजलपुर तबेला, नजीबाबाद
विजनौर ।

विषय: मान्यता अध्यतन जारी होने के संबंध में :-

महोदय

उपर्युक्त विषय में आपके द्वारा कार्यालय से मॉगी गयी जानकारी के संबंध में सन शाईन पब्लिक स्कूल फजलपुर तबेला नजीबाबाद विजनौर की मान्यता इस कार्यालय द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक दिनांक 01.07.13 पत्रांक संख्या 2596-98 / 2013-14 द्वारा जारी की गयी है जो अध्यतन जारी है विद्यालय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चल रही है ।

02.09.2023

(जयकरन यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर

Deputy mgt.
MANAGER
Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad

Principal
Sun Shine Public School
Fazalpur, Najibabad



महानगरिक शिक्षक, रखूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

ई-मेल: www.upeta.com

फोन: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सिंह सर अधिकारी

प्रभाग अधिकारी

प्रभाग अधिकारी

प्रभाग अधिकारी

प्रभाग अधिकारी

क्र.

राज्य परियोजना निदेशक,
रखूल शिक्षा, ३०५०
उत्तर प्रदेश।

८० मनीष वर्ष
मधुजा संघिय
कृति शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
शिक्षा व शासन, भारत सरकार
राष्ट्रीय नियन नई दिल्ली।

प्रक. नं. १०४०५००५० / २०२१-२२ / लखनऊ

दिनांक ०८ अक्टूबर, २०२२

एवं - एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायर कोड आवृत्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

मैं प्रथम प्रवचन करता हूं कि राज्य राज्य से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन अनुरोध अवधारणा विभाग एवं भारत सरकार द्वारा उत्तर रो यह अकेले करते हुए जापन कर दिया गया है कि "कृपया अपडेट भान्यता द्वारा अपडेट कर प्रेषित करें।"

इस अपेक्षित किये गये अनुरोधों में भारतीय शैक्षिक संस्थाएँ ही अवधारणा की गयी है। प्रमुख संघिय, उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली अनुसार्य-८ के भास्तव्यादेश संख्या-४१९/७९-६-२०१३-१८(२०)/११ दिनांक ०८ मई, २०१३ (प्रति संस्थान) द्वारा-१५ में उत्स्थितिहा निर्देश "प्रधानमंत्री नियारित प्राकृत पर नियमावधी में उत्स्थितिहा नियारित प्राकृतिकों के दृष्टिगत विचारक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई दूसरा तथा संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जाएगा कि विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता एवं विधिते एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संवादित शासकीय संस्थाओं के यू-डायर कोड आवृत्ति हेतु सीधे आवश्यकता एवं व्यवहार किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समरत जनरलों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

१० आपसे अनुरोध है कि पूर्वों के कुटियाश/समुचित प्रशासन-प्रशासन के अभाव में यू-डायर कोड आवृत्ति का अनुरोध एवं विद्यालयों को राज्य राज्य से अवधारणा अनुरोधों के क्रम में यातानान सत्र में यू-डायर कोड आवृत्ति करने का काम करें।

भवदीया

(अनंतिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

५६५४/२०२१-२२/लखनऊ/तारिखांक

न जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त वाच एवं डायर कोड यो आवृत्ति की कार्रवाई कराने का काम करें।

तारिखीक निदेशक (साइंटिस्ट एफ)

भवदीया समरत जनपद उत्तर प्रदेश,

(अनंतिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

Sun Shine Public School
Fazalpur, Najibabad

MANAGER
Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad

प्रेषकः

जिला बोरिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।

संता मे

प्रबंधक
सन शाईन पब्लिक स्कूल, फजलपुर तबेला, ब्लाक-नजीबाबाद
जनपद-विजनौर।

प्राक्क-बोरिक / मान्यता / २५४६-७० / 2013-14
विषय:-

दिनांक ०१/०७/१३

मि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा १५ के प्रयोगन के लिए मि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा ला अधिकार अधिनियम 2010 के नियम १८ के उपर्युक्त (५) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महानगरपाली

प्रत्युत विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परामर्शदार/प्राप्तिविद्या के प्राप्तेनियम से, मैं सन शाईन पब्लिक स्कूल, फजलपुर तबेला, ब्लाक-नजीबाबाद (विजनौर) किन्तु १-७-२०१२ से नियम ३०-६-२०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी गार्डन से कक्षा-८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं-

- १ मान्यता को मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता/संवेदन करने के लिए पोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- २ विद्यालय मि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांक्षा १) और मि शुल्क की अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांक्षा २) के उपबंधों का पालन करेगा।
- ३ विद्यालय कक्षा-१ में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक -पढ़ोल के द्वारा भर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें मि शुल्क और आनेवाले प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- ४ दैश-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपरांक्षा (१) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एवं पूरक वैक लातारा नहीं नहीं किया जाएगा।
- ५ दौरानी/विद्यालय नियमों की पिटेशन शुल्क का संदर्भ नहीं करेगा और नियमों का उपरांक्षा १० प्रतिशत की अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित नियमों के अनुसार विद्यालय की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा-
 (१) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक में पाल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 (२) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या नानसिक उत्पीड़न को अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 (३) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोझ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 (४) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकारित नियम १० अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ६ अधिनियम के उपबंध के अनुसार नियमितता भरता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थीयों प्रवेश दिया जायेगा।
- ७ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अंदेकालीन न्यूनतम अवृत्तियों साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनको पाल २० अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अवृत्तियों नहीं है, पूर्ण वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अवृत्तियों अधिकृत करें।
- ८ अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कलान्तरीयों का पालन करता है।
- ९ विद्यालय नियमित प्राक्कियारी द्वारा अधिकथित पाठ्यग्रन्थों के आधार पर पाठ्यग्रन्थ का पालन करेगा।
- १० विद्यालय नियमित की धारा १५ में अधिविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और आनेवाले के बनाए रखें।

जल्मा कर्मिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर

Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad (Bihar)

MANAGER
Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad

- अंतिम निरीक्षण के प्रमाण रिपोर्ट की गई प्रसुचिधाएं निम्नानुसार हैं :-
- (1) विद्यालय परिसर वन सेक्टफल-5405 वर्ग मीटर
 - (2) कुल नेमेत क्षेत्र 355.14 वर्ग मीटर
 - (3) कीड़ा-रथल या शीत्रफल-खेल का मैदान उपलब्ध है।
 - (4) कक्षाओं की संख्या-16
 - (5) प्राच्यापक-सह कार्यालय-सह भूमागार के लिए कक्ष-03
 - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शीघ्रालय-उपलब्ध है।
 - (7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
 - (8) गिल-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
 - (9) बाला रहित पर्टुच-है।
 - (10) अध्यापन पठन शामगी/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
 - 9 विद्यालय के परिसरों को भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कराएं नहीं चलाई जाएंगी।
 - 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए विम्या जायेगा।
 - 11 विद्यालय को सोराइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
 - 12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यवितरणों के लाग के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
 - 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उधित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। इसके लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 - 14 अपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.../.....है कृपया इसे नोट कर जे और उस कायालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संबंधांक का उल्लेख करें।
 - 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों वन धारण करता है जो मान्यता संबंधी रातों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण को कगिली बो दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 - 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

गवर्नर

०१.०१.१३

(राकेश कमाल श्रीवाज्जला
जिला बोर्डक शिक्षा अधिकारी
विधानसभा)

प००००बेरिक/

/2013-14

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-अपर शिक्षा निदेशक(वैसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-संचिव, उ०प्र०, बेरिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), दादशा मण्डल, मुरादाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा तरी कल्याण अधिकारी, जनपद-विजनीर।
- 5-संबंधित सहायक दोस्रे क शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-विजनीर।

जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी
विजनीर।

Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad, Bihar

MANAGER
Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad